न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :—सुभाष चन्द्र
(आर.ए.एस.)

216/25
सीएमएस : 2025/714

1. सुलतान उर्फ सुलताना राम पुत्र श्री हरीराम जाति जाट साकिन भादवांवाला तहसील रायसिंहनगर हाल आबाद म.नं 692, विद्युत नगर ए, अजमेर रोड, जयपुर (राज0)।

—:वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —: प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 125—136 एलआरएक्ट,

तारीख रजू:—19.11.2025

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री रामेश्वरलाल भादू अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी।

—निर्णय— **दिनांक : 30.01.2026**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के नाम से चक 79 आर.बी.बी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 122/112 में पत्थर नंबर 220/277 मु0नं0 30 के किला नं0 1/1 ता 3/2, 8 ता 13/1, 19 ता 22 की 3.099 है0 नहरी मय खाला व प0नं0 221/277 मु0नं0 31 की 0.127 है0 कुल खाता योग 3.226 है0 नहरी—बारानी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि धारण करता है। वादी का सही वा वास्तविक नाम सुलताना राम है मगर वादी को उसके परिजन व पूर्वज वादी के सही नाम सुलताना राम न पुकार छोटे घरेलू नाम सुलतान पुकारने के कारण वादी को इन दोनों नामों से ही जाना—पहचाना जाने लगा, इस प्रकार ये दोनों नाम वादी के ही है किसी अलग—अलग व्यक्ति के नहीं है ओर दोनों नामों से जाने—पहचाने जाने के कारण उसके नाम कृषि भूमि संबंधित अभिलेखों व कुछ अन्य दस्तावेज में वादी का नाम सुलतान वा अधिकांशत व्यक्तिगत दस्तावेजात परिवार आधार कार्ड, स्थायी लेखा संख्या कार्ड (पेन कार्ड) इत्यादि में वादी का नाम सुलताना राम दर्ज है। इस प्रकार वादी को इन दोनों नामों से जाना—पहचाना जाता है। ये दोनो नाम दो अलग—अलग व्यक्तियों के नही होकर उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति वादी के ही है। वादी के अलावा वादी के परिवार में इन नामों का कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। वादी का घरेलू छोटा नाम सुलतान प्रचलित होने से तत्कालीन समय भूमि अभिलेखों मे इसी नाम से भूमि उसके पक्ष में नामान्तरित कर दी गई ओर यही नाम अभिलेखों में चलता आ रहा है। मगर वादी के व्यक्तिगत दस्तावेजात में उसका नाम सुलताना राम दर्ज होने से वादी को आईन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, हस्तान्तरण करने, ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी वा लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादी के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानियां उठानी पड़ेगी ओर उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिए वादी अपने नाम की दुरूस्ती करवाते हुये राजस्व अभिलेखों में अपने उक्त दोनो नाम दर्ज करवा पाने का कानूनन अधि[illegible] वादी ने प्रतिवादी से बमुकाम रायसिंहनगर सम्पर्क कर जमाबंदी व राजस्व रिका[illegible] दु[illegible] का अनुरोध करने पर प्रथमतः टालमटोल करते हुये अंततः दिनांक 17—11—2025 [illegible] कहकर दुरूस्ती से इंकार कर दिया कि न्यायालय के डिक्री/आदेश [illegible] सकेगी। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखासमत [illegible] अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नहीं रहा है। [illegible] माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है। वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी वाके चक 79 आर. बी.बी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 122/112 में पत्थर नं0 220/277 मु0नं0 30 के किला नं0 1/1 ता 3/2, 8 ता 13/1, 19 ता 22 की 3.099 है0 नहरी मय खाला व प0नं0 221/277 मु0नं0 31 की 0.127 है0 बारानी कुल खाता योग 3.226 है0

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:49 IST
Reason: SelfAttested

नहरी–बारानी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि वादी की है तथा घोषित किया पावे कि दोनों नाम सुलतान उर्फ सुलताना राम वादी के ही है। घोषणात्मक डिक्री अनुसार जमाबंदी संवत 2076–2079 व उससे पूर्व के समस्त रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूस्ती करते हुये वादी का नाम "सुलतान" के स्थान पर वादी के दोनों नाम 'सुलतान उर्फ सुलताना राम' दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं. 1 को डिक्री फरमावें।

वाद पत्र पेश होने दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जाकर तहसीलदार रायसिंहगर से मोका रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया। प्रतिवादी सरकार की तरफ तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/6683 दिनांक 22.12.2025 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक 79 आर.बी.बी. के मु0नं0 30 प0नं0 220/277 तथा मु0नं0 31 प0नं0 221/277 में रकबा 3.226 है0 नहरी बारानी मय खाला भूमि सुलतान पुत्र हरीराम जाति जाट के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थी का नाम सुलतानाराम पुत्र हरीराम जाति जाट जिसके संबंध में मौका घटना बही दिनांक 05.12.2025 में सुलतान व सुलतानाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सुलतान उर्फ सुलतानाराम पुत्र हरीराम जाति जाट किया जाना उचित है।

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि वाके चक 79 आर.बी.बी. के मु0नं0 30 प0नं0 220/277 तथा मु0नं0 31 प0नं0 221/277 में रकबा 3.226 है0 नहरी बारानी मय खाला में वादी का नाम सुलतान लिखा है परन्तु वादी के अन्य दस्तावेजों में नाम सुलतानाराम लिखा हुआ है उक्त खाता में उक्त नामों की शुद्वि करने के लिए तहसीलदार रायसिहनगर ने अपनी मोका जांच में उक्त खातों में सुतातान उर्फ सुलतानाराम की शुद्वि किया जाना उचित समझा है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में संलग्न पहचान दस्तावेज, वाद पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया।तहसीलदार रायसिंहनगर की मौका जांच रिपोर्ट की अनुशषा व उक्त तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादी अंतर्गत धारा 88 ारटीएक्ट व 136–125 राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया ाकर राजस्व रिकार्ड के चक 79 आरबी बी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 076–2079 में खाता संख्या 122/112 में पत्थर नं0 220/277 मु0नं0 30 के किला नं0 /1 ता 3/2 , 8 ता 13/1, 19 ता 22 की 3.099 है0 नहरी मय खाला व प0नं0 21/277 मु0नं0 31 की 0.127 है0 बारानी कुल खाता योग 3.226 है0 नहरी–बारानी मय ाला नहरी खातेदारी भूमि में वादी का नाम "सुलतान" के स्थान पर 'सुलतान उर्फ लतानाराम की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है उक्त खाता के शेष अंकन व रहन दस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार ायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद कमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.02.16 12:11:49 IST
Reason: SelfAttested

र्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र}
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर